ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 334-336

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

कृषि श्रमिक एवं मनरेगा

शांति कुमारी
एम0 ए0 पी–ए0 डी0 (समाजशास्त्र) ग्राम गदोपुर, पो0 फखरपुर, अरवल (उ0प्र0) भारत।

Received- 05.08.2020, Revised- 09.08.2020, Accepted - 13.08.2020 E-mail: - dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : *कृषि श्रमिकों से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिनके पास अपनी स्वयं की कोई कृषि भूमि नहीं होती है तथा कृषकों की भूमि पर श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन व्यक्तियों के पास अपनी थोड़ी सी कृषि भूमि होती है और वे अपने परिवार के भरण–पोषण हेतु कृषि श्रमिक बनकर कार्य करते हैं।*

कुंजीभूत शब्द– कृषि श्रमिक, अभिशाप, कृषि भूमि, श्रमिक, भरण–पोषण, गुलाम, बन्धवा मजदूर, मुद्रा उधार, भुगतान

प्रथम कृषि श्रम जाँच समिति (First Agriculture Labour Enquiry) के अनुसार, "एक कृषि श्रमिक वह व्यक्ति है जो वर्ष में अपने काम के कुल दिनों में से आधे से ज्यादा दिन खेत में श्रमिक बनकर कार्य करता है।"

द्वितीय कृषि श्रम जाँच समिति (Second Agriculture Labour) ने प्रथम जाँच समिति में सुधार करके निम्न परिभाषा दी– "कृषि श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो न केवल फसलों के उत्पादन हेतु रखा जाता है बल्कि अन्य कृषि सम्बन्धी व्यवसायों; जेसे–डेरी, मुर्गी पालन, शहद की मक्खियों का पालन आदि पर किराये के मजदूर के रूप में कार्य करता है।"

कृषि श्रमिकों के प्रकार (Types of Agricultural Labour) ब्रिटिश काल में श्रमिकों को निम्न चार भागों में विभाजित किया जा सकता है–

(1) बंधवा मजदूर (Bonded or Semifree Labouers) – वाडिया एवं मरचेंट **(Wadia and Merchant)** के अनुसार बंधवा मजदूर कृषि श्रमिक का वह वर्ग है जो किसी कृषक के अधीन गुलाम की तरह रह रहा हो। रॉयल आयोग के अनुसार बन्धवा मजदूर होने का कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मुद्रा उधार ले लेता है और वह चुका नहीं पाता तब उस दशा में वह उस मुद्रा के भुगतान के बदले उस व्यक्ति के पास अपनी सम्पूर्ण जिन्दगी गुलाम की तरह रहने को मजदूर हो जाता है। इस प्रकार के बंधवा मजदूर खरीदे एवं बेचे जा सकते हैं। इस बंधवा श्रम की सबसे बुरी विशेषता यह है कि उसका ऋण कभी वापिस नहीं चुकता है तथा कभी–कभी दूसरी पीढ़ी भी इसी तरह गुलाम बनी रहती है।

(2) अति सीमांत जोत श्रमिक (Dwarf Holding Labouers) – इस वर्ग में छोटी जोत वाले कृषक किरायेदार, आंशिक कृषक आते हैं। इस प्रकार के श्रमिक अन्य वर्ग से भिन्न होते है क्योंकि वे केवल मजदूरी पर ही निर्भर नहीं करते हैं। खेती से पर्याप्त आय प्राप्त न होने के कारण दूसरे कृषकों के खेतों में मजदूरी करते हैं।

(3) अर्द्ध रोजगार भूमिहीन श्रमिक (Under-employed Landless) – बंधवा श्रमिका भूस्वामी तथा अति जोत श्रमिक भूमि से जुड़े होते है। दोनों प्रकार के श्रमिक वर्ग रोजगार के अभाव में उत्पन्न होते हैं। जब इन श्रमिकों का भूस्वामी अथवा भूमि से सम्बन्ध टूट जाता है तो श्रमिकों का वर्ग बन जाता है, अर्द्ध रोजगार भूमिहीन श्रमिक कहलाता है। इस प्रकार के श्रमिक रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते रहते हैं। ये श्रमिक एक फसल पर एक जगह तथा दूसरी फसल पर दूसरी जगह कार्यरत रहते है। यह पाया गया कि बिहार तथा यू०पी० की श्रमिक जूट की फसल के समय बंगाल में आ जाते थे।

(4) पूर्ण रोजगार भूमिहीन श्रमिक (Full time Landless Laboures)–इस प्रकार का श्रमिक बागानों अथवा धनी कृषक के यहाँ कार्यरत था। चूँकि चाय बागान ऐसे स्थानों पर स्थित थे जहाँ आबादी बहुत कम होती थी तथा श्रमिक आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, ऐसी दशा में घनी आबादी वाले श्रमिकों को उन स्थानों पर पूर्ण रोजगार दे दिया जाता था। इसके अतिरिक्ति धनी व्यक्ति अपने फल, सब्जी आदि कृषि फार्मों के लिये पूर्णकालीन कृषि श्रमिक नियोजित कर लेते थे।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम: भारत विश्व का पहला देश है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल पारित कर रोजगार को कानूनी अधिकार की मान्यता दी गई है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी विधेयक 2004 (नरेगा) को मंजूरी दी किन्तु यह अधिनियम सितम्बर, 2005 में अधिनियमित और 02 फरवरी, 2006 को लागू किया गया। कई चरणों में क्रियान्वित यह अधिनियम प्रथम चरण में देश के सर्वाधिक पिछड़े 200

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

जिलों मे लागू किया गया। वर्ष 2007–08 में दूसरे चरण के तहत देश के अन्य 130 जिलों को इस अधिनियम के तहत जोड़ दिया गया। अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक पांच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से इसको सभी ग्रामीण जिलों में विस्तारित किया जाना था किन्तु योजना की सफलता एवं उपयोगिता की वजह से देश के सभी 614 ग्रामीण जिलों में 01 अप्रैल, 2008 से लागू कर दिया गया। देश के सभी ग्रामीण जिलों में चल रही इस योजना का नाम 02 अक्टूबर, 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के बदले महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कर दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस अधिनियम के महत्व को स्वीकारते हुए कहा है कि रोजगार गारंटी बिल न केवल भारत के लिये बल्कि विश्व के लिये ऐतिहासिक व अनुठा है। मई, 2009 में जारी एक रिपोर्ट में आई०एल०ओ० ने कहा है कि दक्षिण एशिया में आर्थिक मंदी का बहुत खराब दौर दिखायी दे रहा है तथा आगामी कुछ वर्षों में और भयावह हो सकता है किन्तु भारत को सामाजिक सुरक्षा के लिये संचालित नरेगा ने इस संकट से बचा लिया है।

यह अधिनियम अस्थायी तौर पर शारीरिक श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण को न्यूनतम अन्तर्गत प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक सौ दिन की मजदूरी आधारित रोजगार दी जाती है। रोजगार के लिये आवेदन करने पर 15 दिनों के अंदर सार्वजनिक कार्यों में मजदूरी रोजगार नहीं देने की स्थिति में भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम की सबसे अनोखी विशेषता है। समय पर रोजगार की गारंटी और 15 दिनों के अन्दर मजदूरी का भुगतान होना। अंतरिम राहत न होने पर भी राज्य सरकार को 90 प्रतिशत रोजगार मुहैया करवाना होगा, जिसका व्यय केन्द्र सरकार की बेरोजगारी भत्ते के लिये उपलब्ध राशि से स्वतः किया जायेगा। इस अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है। अधिनियम के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी में पंचायती राज संस्थाओं/पंचायतों की मुख्य भूमिका होती है। अधिनियम में बड़ी सतर्कता और निगरानी की परिकल्पना है। ग्राम सभा को सामाजिक लेखा–परीक्षण का अधिकार है। कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय सतर्कता और निगरानी समिति गठित की जा सकती है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान है। इस योजन के तहत जल संरक्षण, सड़क, पुलिया, पंचायत भवनों का निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, वृक्षारोपण, तालाब निर्माण से सम्बन्धित कार्यों में ही मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार व मजदूरों के पलायन पर स्वतः रोक लगती है। एक आंकलन के मुताबिक देश में 10 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस अधिनियम के तहत जॉब कार्ड धारक है। समान्यतः एक ही परिवार में 2–3 व्यक्तियों के पास जॉब कार्ड है। वर्ष 2009–10 तक 8.57 करोड़ नरेगा कामगारों के लिये बैंक और डाकघर में मजदूरी भुगतान खाता खुल गये है। कार्यक्रम के तहत वर्ष 2006–07 में न्यूनतम मजदूरी 65 रुपये प्रतिदिन था, जिसे बढ़कर वर्ष 2009–10 में 88.48 रुपया कर दिया गया है। अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष 2006–07 में दो सौ ग्रामीण जिलों के 2.10 करोड़ घरों को शामिल किया गया तथा 90.5 करोड़ लोगों को मजदूरी रोजगार दिया गया। वर्ष 2007–08 में 330 ग्रामीण जिलों के 3.39 करोड़ परिवारों के 143.5 व्यक्तियों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध करा दी गई। वहीं वर्ष 2008–09 में 4.51 करोड़ घरों के 216.62 व्यक्तियों तथा 2006–10 में 160 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है।

अध्ययन का अद्देश्य : प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य कृषि श्रमिकों पर मनरेगा के प्रमानों का विशलेषण करना है।

अध्ययन का क्षेत्र : प्रस्तुत अध्ययन के लिए जहानाबाद जिला के बरावाँ पंचायत का चयन किया गया है।

निदेर्श : बरावाँ पंचायत के 200 कृषि श्रमिकों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया है।

उपकरण : उत्तरदाताओं पर मनरेगा के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए साक्षात्कार–अनुसूची का उपयोग किया गया।

तथ्य विश्लेषण : सर्वाधिक उत्तरदाता 35 से 45 वर्ष के हैं। उत्तरदाता अनुसूचित जातियों के हैं। शत–प्रशित उत्तरदाता पुरूष हैं। उत्तरदाताओं का परिवार संयुक्त है तथा सर्वाधिक उत्तरदाताओं के परिवार में 4 से 7 सदस्य है। उत्तरदाताओं का वार्षिक आय 48000 रूपये हैं। अधिकांश उत्तरदाता अशिक्षित है। सर्वाधिक उत्तरदाता विवाहित हैं। सर्वाधिक उत्तरदाताओं का मकान पक्का है जो इन्दिरा आवास योजना के द्वारा उपलब्ध हुआ है अधिकांश उत्तरदाता भूमिहीन हैं। सर्वाधिक कृषि श्रमिक उत्तरदाताओं ने कहा कि उनपर मनरेगा का प्रभाव है। मनरेगा के द्वारा रोजगार मिलने से उनके आय में वृद्धि होने से रहन–सहन का स्तर ऊँचा हुआ है। आय में वृद्धि के कारण वे अपने बच्चों को पढ़ा रही है। मनरेगा के कारण उनमें सामाजिक जागरूकता उत्पन्न हुआ है। अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि वे सामाजिक कुरीतियों अंधविश्वासों, नशा सेवन का विरोध करते हैं। सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने कहा कि मनरेगा के

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

कारण उनमें राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुआ है। परिणमस्वरूप वे वोट के महत्त्व को समझते हैं। वे मतदान में जुलुस, प्रदर्शन, सभा संगोष्ठि में मात्र लेते हैं तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं।

उत्तरदाताओं ने कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना घुस दिये हुए उनका पंजीकरण नहीं होता है। उत्तरदाताओं ने कहा कि श्रमिकों के काल्याण के क्षेत्र में इसकी अहम् भूमिका हो सकती है, बशर्ते इमानदारी का पालन हो। उत्तरदाताओं ने कहा कि नहर वाले, नदी खुदवाने में मशीन का सहयोग लिया जाने लगा है जिससे श्रमिकों के रोजगार पर असर पड़ रहा है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मनरेगा श्रमिकों के लिए वरदान साबित हुआ है। फिर भी यह श्रमिकों को पूर्ण रोजगार देने में सक्षम नहीं हो पाया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत 2011, पृ० – 844
2. डॉ० कटारिया सुरेन्द्र : आर्थिक मंदी से जुझते नरेगा, कुरूक्षेत्र दिसम्बर, 2009, पृ० 09–10.
3. डॉ० मोदी अनिता : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, एक विश्लेषण, कुरूक्षेत्र, दिसम्बर, 2007, पृ० 35–36.
4. कुरूक्षेत्र दिसम्बर, 2009, पृ० 35–36
5. भारत 2007, पृ० 742 .
6. कुरूक्षेत्र, दिसम्बर, 2009, (विभिन्न लेख से संकलित)

*****